न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 163/2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/330)

निर्णय दिनांकः– 06-02-26

1. विजेन्द्र कुमार पुत्र शिवदत्त जाति माली निवासी पुरानी गिन्नाणी तहसील बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 12–01–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री सत्यपाल सहु, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 12–01–2000 जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से विशेष आवंटन में आवंटित रकबा किश्तो के अभाव में गैर कानूनी तरीके से खारिज करने के आदेश प्रदान किये गये, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को वाके रोही चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 196/2 तादादी 25 बीघा मुरब्बा नम्बर 196/3 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड कुल 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि बतौर विशेष आवंटन में दिनांक 02–11–1996 को आवंटित की गई। तथा आवंटन पट्टा भी जारी किया गया। विशेष आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये चालान संख्या 96 दिनांक 15–05–1996 वास्ते जमा होने 35 प्रतिशत राशि जारी होने पर राशि 30608/–रू. जमा होकर आवंटन आदेश जारी किया गया। आवंटन आदेश जारी होने के बावजूद भी आवंटन शुदा भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही की गई जबकि 35 प्रतिशत राशि में से 25 प्रतिशत राशि बतौर किश्त एवं शेष 10 प्रतिशत राशि राजस्व रिकॉर्ड में कब्जे के अंकन बाबत थी। परन्तु बिना राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये अपीलांट का खाता सैल रजिस्टर में खोलते हुए आवंटन अधिकारी द्वारा बिना नोटिस जारी किये बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिजी का कारण बकाया किश्त जमा नही करवाना बताया गया है जबकि अपीलांट को इस बाबत किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया गया। उक्त भूमि वर्तमान में भी अराजीराज दर्ज है। सीधे अपीलांट को विशेष आवंटन में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596, आरआरडी 1994 पेज 291 न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट को चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 196/2 व 196/3 की 50 बीघा भूमि विशेष आवंटन में आवंटित की गई। आवंटन पश्चात अपीलांट द्वारा उक्त भूमि बाबत 35 प्रतिशत राशि रूपये 30608/– जरिये चालान संख्या 95 दिनांक 15–05–1996 द्वारा जमा करवाई गई। उक्त राशि जमा करवाने के पश्चात् अपीलांट के नाम चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 196/2 में 25 बीघा व 196/3 में 25 बीघा कुल 50 बीघा भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 02–11–1996 को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–01–2000 को अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की किश्तो की राशि 56942/–रू. जमा नही करवाये है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस अपने कार्यालय के कमांक 135 दिनांक 01–11–1999 को जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस तामील की सुनिश्चितता आवंटन अधिकारी द्वारा की गई हो।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–2076 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अराजीराज है।

प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994 पेज 291 में भी यह अभिलिखित किया गया है कि:–**Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Govt Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975, Rule 17(8)-According to the policy and the instructions issued by the State Govt permanent allotment should not be cancelled merely for default in payment of instalments-Applicant given three months time to clear all outstandings in lump sum failing which revision would be automatically treated as dismissed.**

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अगर अपीलाट 2 माह में बकाया राशि जमा करवाई जाती है तथा वादग्रस्त भूमि अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित न हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 06-02-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर